RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 04 सितंबर 2025 वर्ष 07 अंक 137 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

बांद्रा इलाके में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 35 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स पकड़ी...

Page - 2

महाराष्ट्र: अब प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की होगी शिफ्ट !

सरकार ने कानून में संशोधन को दी मंजूरी...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने प्राइवेट संस्थानों में डेली वर्किंग आवर को नौ से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी. अधिकारियों ने बुधवार (3 सितंबर) को इसकी जानकारी दी. अभी महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में एक दिन की शिफ्ट के लिए नौ घंटे निर्धारित हैं. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि इस फैसले के पीछे का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की. ये बदलाव 20 या इससे अधिक वर्कर्स वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे.

किन-किन राज्यों में लागू है 10 घंटे वाली शिफ्ट?

महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में ये लागू हो चुका है. अब महाराष्ट्र के फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट 2017 में संसोधन किया जाएगा.

महाराष्ट्र में क्या बदल जाएगा?

इस संसोधन से पीक डिमांड या लेबर शॉर्टेज के दौरान बिना किसी परेशानी के काम करने की अनुमति मिलेगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि वर्कर्स को उचित ओवरटाइम मिले. इसके साथ ही डेली वर्किंग आवर की सीमा नौ घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगी. पांच घंटे के बजाय छह घंटे के बाद रेस्ट ब्रेक दिया जाएगा.

वर्कर्स की लिखित सहमति अनिवार्य

वर्कर्स की अनिवार्य लिखित सहमति के साथ कानूनी रूप से ओवरटाइम की सीमा प्रति तिमाही 115 घंटे से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी. वीकली आवर्स में भी इजाफा होगा जो 10.5 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगी. 20 से कम वर्कर्स को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें प्राधिकारियों को सूचित करना होगा. सरकार की मानें तो इस फैसले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नए निवेश लाने और रोजगार पैदा करने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही ओवरटाइम के लिए डबल पेमेंट भी सुनिश्चित होगा. स्टेट लेबर डिपार्टमेंट ने ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पिछले हफ्ते रखा था.

कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली को हत्या मामले में दी जमानत

नागपुर : गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली, जिन्हें 'डैडी' के नाम से भी जाना जाता है, 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक हत्या के मामले में उन्हें जमानत दे दी। 70 वर्षीय गवली, जो शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद दोपहर लगभग 12.30 बजे जेल से बाहर आए।

रिहाई के कुछ ही देर बाद, गवली को नागपुर हवाई अड्डे पर मुंबई जाने की तैयारी करते देखा गया। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में सफेद दाढ़ी के साथ उन्हें पहचानना लगभग मुश्किल लग रहा था और जेल में पिछले कुछ सालों में उनका वजन भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गवली के शाम को मुंबई के भायखला स्थित दगड़ी चॉल जाने की संभावना है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 28 अगस्त को गवली की लंबी कैद और बढ़ती उम्र को देखते हुए जमानत दे दी थी। अदालत ने पाया कि मामले में उनकी अपील 17 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 में निर्धारित की गई है।

ठाणे : तालाब में महिला और बच्ची के शव तैरते हुए पाए गए

ठाणे : घोड़बंदर रोड पर कसारवाडावली के पास एक उथले तालाब में एक महिला और एक बच्ची के शव तैरते हुए पाए गए। कसारवाडावली इलाके के पास एक सुनसान जगह, एक खेत, शाम करीब 7 बजे एक संकटकालीन कॉल आने के बाद पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया का केंद्र बन गया। ठाणे क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी)

के प्रमुख यासीन तड़वी के अनुसार, तालाब लगभग 2.5 फीट गहरा था, जैसा कि ठाणे फायर ब्रिगेड और आरडीएमसी की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुँचीं और शवों को बरामद किया। शुरूआती आकलन से पता चलता है कि महिला की उम्र लगभग 35 साल थी, और बच्ची लगभग तीन साल की थी। फिलहाल, दोनों व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई है। ठाणे पुलिस ने मौतों के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गहन जाँच शुरू कर दी है। नगर निगम के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जाँच पूरी होने के बाद और विवरण सामने आएँगे।

ठाणे : भिवंडी में अपनी पत्नी का धारदार चाकू से सिर काटने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

ठाणे: ठाणे की भोईवाड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को भिवंडी में अपनी पत्नी का कथित तौर पर धारदार चाकू से सिर काटने के आरोप में गिरफ्तार किया। पति के विवाहेतर संबंध के शक में घरेलू विवाद हुआ था। पुलिस को चार दिन पहले भिवंडी में महिला का कटा हुआ सिर मिला था। आरोपी की पहचान मोहम्मद ताहा अंसारी उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर है। उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला रेत दिया और बाद में हत्या को छिपाने के लिए उसके शरीर के अंगों को एक नाले में फेंक दिया।

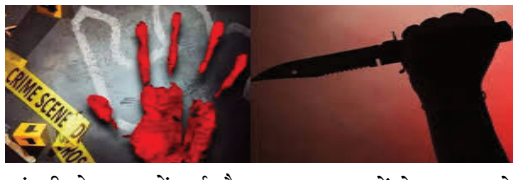

मृतक की पहचान 22 वर्षीय प्रवीण उर्फ मुस्कान अंसारी के रूप में हुई है। उसकी सोनू से दो साल पहले शादी हुई थी और दंपति का एक साल का बेटा भी है। हालाँकि, पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में तनाव चल रहा था। पुलिस के अनुसार, मुस्कान और उसके पति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसमें अक्सर उसका परिवार भी शामिल होता था। मुस्कान को शक था कि सोनू का किसी और महिला के साथ संबंध है, और इस लगातार शक ने झगड़े को और बढ़ा दिया। उसने अपने ससुराल वालों से अलग रहने की इच्छा भी जताई थी।

मुस्कान ने हाल ही में भिवंडी के ईदगाह खाड़ी इलाके के पास एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था, जहाँ वह अपने बेटे के साथ रहती थी। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। दंपत्ति के बीच विवाद और तीखी बहस जारी रही। जब पुलिस ने शव मिलने की जाँच शुरू की, तो उन्होंने इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच की, स्थानीय निवासियों से बात की और मुखबिरों से भी पूछताछ की। इस दौरान, उन्होंने देखा कि पास का एक घर कई दिनों से बंद पड़ा था, जिससे संदेह पैदा हुआ। सुराग मिलने पर, पुलिस ने सोनू तक पहुँचने का प्रयास किया। कड़ी पूछताछ करने पर, वह टूट गया और उसने हत्या करना कबूल कर लिया। ''प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि मुस्कान को अपने पति पर किसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था, जिसके कारण बार-बार झगड़े होते थे। गुस्से में आकर, सोनू ने कथित तौर पर धारदार चाकुओं से मुस्कान का सिर काट दिया और उसके शरीर के अंगों को खाड़ी में फेंक दिया।''

मुंबई: राज्य परिवहन बस ने स्कूटर को टक्कर मार दी,मेडिकल छात्रा की मौत...!

मुंबई: मुंबई-गोवा राजमार्ग पर कथित तौर पर लापरवाही से चलाई जा रही एक राज्य परिवहन बस ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे 19 वर्षीय मेडिकल छात्रा की मौत हो गई और उसका छोटा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मृतक की पहचान देवयानी किशोर गोले के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई के पनवेल स्थित एक कॉलेज में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस) की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार, देवयानी और उसका छोटा भाई गणेशोत्सव मनाने के लिए रोहा के पास देवकान्हे में अपने मामा के घर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। यह घातक दुर्घटना रायगढ़ जिले के रोहा में नम्रता ढाबा के पास हुई, जब खेड़ डिपो की एक बस ने भाई-बहन के स्कूटर को टक्कर मार दी।

संपादकीय...

जीएसटी में सुधार...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आज आरंभ हो रही दो दिवसीय बैठक से पहले गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दलों द्वारा शासित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने गत सप्ताह एक बैठक की ताकि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में संभावित बदलावों का आकलन कर सकें। उनके सुझाव यह संकेत देते हैं कि वांछित बदलावों का क्रियान्वयन करना आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए समूह ने नुकसानदेह और विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी की दर के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि अतिरिक्त शुल्क से प्राप्त राशि पूरी तरह राज्यों को स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा संबंधित राज्यों ने कहा है कि 2024-25 के आधार वर्ष होने के कारण अगर वृद्धि 14 फीसदी से कम रहती है तो उनके राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। जीएसटी दरों के प्रस्तावित पुनर्गठन के कारण करीब 85,000 करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा था कि जीएसटी व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाएगा। बाद में पता चला कि व्यवस्था को सैद्धांतिक तौर पर 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो दरों वाले ढांचे पर लाया जाएगा और अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को इन दो दरों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नुकसानदेह वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की दर रहेगी। इस बात पर जोर देना उचित होगा कि विशेषज्ञ लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि दरों की विविधता ने जीएसटी प्रणाली के कामकाज और प्रदर्शन को प्रभावित किया है। ऐसे में उन्हें युक्तिसंगत बनाने की कवायद काफी समय से लंबित थी। बहरहाल, कुछ राज्यों की चिंताएं और उनके द्वारा सुझाए गए हल बताते हैं कि दरों और स्लैब को सुसंगत बनाने की दिशा में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा।

उदाहरण के लिए राज्यों को संभावित राजस्व हानि की भरपाई करने का विचार अत्यंत कमजोर है। उन्हें जीएसटी के शुरूआती पांच साल तक क्षतिपूर्ति उपकर के जरिये भरपाई की गई है। जब उपकर संग्रह महामारी के दौरान कम हो गया तो उन्हें उधारी के जरिये भरपाई की गई। फिर उसे चुकाने के लिए उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई गई। यह व्यवस्था हमेशा जारी नहीं रह सकती। इसलिए, जब परिषद दरों में बदलाव पर विचार कर रही है, तो कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को केवल घरेलू मांग को बढ़ाने के उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोगों का तर्क है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण संभावित निर्यात हानि की भरपाई के लिए करों को कम किया जाए। बल्कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना और राजस्व संग्रह को बेहतर करना होना चाहिए। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन तथा अन्य लोगों ने इसी समाचार पत्र में लिखा, वास्तविक लागू जीएसटी दरें व्यापक दर स्लैब से ऊंची हैं।

Rokthok Lekhani News Update
WhatsApp group

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

पुणे : गणेशोत्सव के दौरान शोर सीमा पार करने वालों के खिलाफदर्ज किया जाएगा मामला

पुणे : पिछले कुछ वर्षों से गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए, इस वर्ष महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशानुसार, पुणे शहर और उपनगरों के लगभग 200 चयनित गणेश मंडलों में पहले दिन से ही ध्वनि स्तर मापन शुरू हो गया है और यह अंतिम ग्यारहवें दिन तक जारी रहेगा।

ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए मंडलों के परिसरों में सूचना पट्ट लगाए गए हैं और 300 महाविद्यालयीन छात्रों को प्रशिक्षित कर निरीक्षण दल में शामिल किया गया है। यह दल प्रतिदिन शाम को ध्वनि स्तर मापेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। गणेशोत्सव के दौरान, एमपीसीबी तीन स्तरों पर काम कर रहा है: जागरूकता, ध्वनि मापन और उल्लंघनकताओं के विरुद्ध कार्रवाई। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नागरिकों और मंडलों को सहयोग करना चाहिए।

शोर सीमा नियम और कानूनी प्रावधान डेसिबल सीमा:

दिन के समयः (सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) आवासीय शोरः 55 डेसिबल व्यावसायिक शोरः 65 डेसिबल औद्योगिक क्षेत्रः 75 डेसिबल शांत क्षेत्र (अस्पताल, स्कूल, अदालतें) : 50 डेसिबल रात्रि (रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक): आवासीय क्षेत्रः 45 डेसिबल व्यावसायिक क्षेत्रः 55 डेसिबल औद्योगिक क्षेत्रः 70 डेसिबल शांत क्षेत्रः 40 डेसिबल कानूनी प्रावधान और दंडः सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा 268 और 290 के अंतर्गत एक अपराध है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है। उल्लंघन करने वालों पर जुमार्ना लगाया जा सकता है, उनके उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और मामला दर्ज किया जा सकता है। जुमार्ना 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक हो सकता है, और सजा 5 साल तक की कैद हो सकती है।

मुंबई: राष्ट्रीय अन्त्योदय कांग्रेस और सेकुलर अलायंस ऑफ इंडिया को नोटिस जारी...

मुंबई: केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय अन्त्योदय कांग्रेस और सेकुलर अलायंस ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि उनकी राजनीतिक पार्टी पंजीकरण क्यों रद्द न किया जाए। चुनाव आयोग के अनुसार, दोनों पार्टियों ने 2019 के बाद से किसी भी लोकसभा, राज्य विधानसभा या उपचुनाव में भाग नहीं लिया। आयोग ने यह नोट किया कि चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण का मूल आधार होता है। ऐसे में, दोनों संगठन अपनी गतिविधियों के मामले में राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करना बंद कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने इस आधार पर उनकी पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है, लेकिन दोनों पार्टियों को अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

मुंबई : सफाई कर्मियों ने 5 दिन में CSMT परिसर से उठाए 101 टन कचरा...

मुंबई : मराठा समाज की ओर से आरक्षण को लेकर आजाद मैदान में 29 अगस्त से मोर्चा निकाला था। भारी संख्या में आंदोलकारियों के कारण बड़े पैमाने पर सेवा सुविधा का अभाव हुआ था। खासकर स्वच्छता की बड़ी जरूरत आन पड़ी थी, जिसको लेकर मराठा आंदोलनकारियों ने मनपा आयुक्त भूषण गगराणी से मिलाकर सफाई सहित अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी।

मनपा प्रशासन ने आजाद मैदान और आसपास के इलाकों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मनपा ने सोमवार मध्यरात्रि से बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान में हजारों कर्मचारी और विभिन्न उपकरण लगाए गए। रात के समय कचरा प्रबंधन विभाग के 400 से अधिक कर्मचारी मैदान और परिसर की सफाई में जुटे रहे। जबकि मंगलवार को भी एक हजार से ज्यादा कर्मचारी सक्रिय रहे। मनपा ने पांच दिनों में कुल 101 टन कचरा इकट्ठा कर उसका निपटारा किया। विशेष बात यह रही कि आंदोलनकारियों ने भी प्रशासन को स्वच्छता कार्यों में सहयोग दिया। मनपा प्रशासन ने आजाद मैदान और आसपास के क्षेत्रों में पानी, चिकित्सा सुविधा और शौचालय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन विभाग ने आजाद मैदान, मनपा मुख्यालय के सामने बने सेल्फी पॉइंट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास विशेष टीमें तैनात की थीं।

बांद्रा इलाके में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 35 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स पकड़ी...

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने मुंबई के बांद्रा इलाके में केले बेचने की आड़ में ठेले पर एमडी ड्रग्स बेचने के आरोप में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की पहचान 60 वर्ष के मोहम्मद अली अब्दुल गफ्फार शेख के रूप में हुई है और उसके पास से 35 लाख रुपये कीमत की 153 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। इसके बाद मोहम्मद अली अब्दुल के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, मोहम्मद को कोर्ट में पेश किया गया जहा कोर्ट ने 3 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद अली मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास केले बेचने का धंधा करता था. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि वह केले बेचने वाले के भेष में एमडी ड्रग्स बेच रहा है।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसे एमडी ड्रग्स किसने मुहैया कराई, वह इस धंधे में कितने समय से शामिल था, क्या उसके कोई साथी था और क्या उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी, कि मोहम्मद केले बेचने के आड में ड्रग्स की तस्करी करता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी सिविल ड्रेस में जाल बिछाकर इसपर निगरानी रखने लगे, देर रात मोहम्मद बांद्रा बस डिपो के पास महाराष्ट्रनगर रोड से गुजरते हुए देखा गया, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

भिवंडी : चोरी-छिनैती की वारदात बढ़ी

एक ही रात में 4 बड़ी वारदातें...

भिवंडी : भिवंडी में अपराधियों ने बीती रात चोरी और घरफोड़ी की चार बड़ी वारदातों को अंजाम देकर शहरवासियों में दहशत फैला दी. अलग-अलग थानों में दर्ज मामलों से साफ है कि अपराधी अब संगठित तरीके से सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहली घटना शांतिनगर पुलिस थाने की हद में पोश एरिया अरिहंत सोसाइटी से सामने आई। यहां मेडिकल व्यवसायी संदीप सुभाषचंद्र दुबे के मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोर नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुबे ने चोरी का पता चलते ही पुलिस को सूचना दी। दूसरी वारदात कोनगांव पुलिस ठाणे क्षेत्र में दर्ज हुई। वासुदेव पाटील नगर स्थित जमुनाई अपार्टमेंट में रहने वाले अमोल ताराचंद परदेशी के घर में काम करने वाली महिला रश्मी रमेश देवरेकर ने 48 हजार रुपए नकदी चुराई। आरोपी महिला घरेलू कामकाज का भरोसा मिलने का फायदा उठाकर रकम लेकर फरार हो गया ।

नायगांव : आर.एम.सी. प्लांट में दर्दनाक हादसा...

दम घुटने से दो मजदूरों की मौत, ठेकेदार पर FIR

नायगांव : नायगांव के ससुनावघर में स्थित एक आर.एम. सी. प्लांट में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक सीमेंट के कुएं में दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय विश्वजीत हरिश्चंद्र राजभर और 24 वर्षीय राजन सुरेंद्र राजभर के रूप में हुई है, जो दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस मामले में, लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए ठेकेदार अजय लालसा यादव के खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह दर्दनाक हादसा 2 मई को शाम करीब 4 बजे हुआ था, हालांकि इसकी शिकायत 1 सितंबर को दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक, ठेकेदार अजय यादव ने मजदूरों को एक बंद पड़े कुएं में गिरी

हुई गेंद निकालने के लिए कहा था।

कुआं 5 फीट चौड़ा और 30 फीट गहरा था। सबसे पहले विश्वजीत को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कुएं में उतारा गया। कुएं में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब विश्वजीत की हालत बिगड़ी, तो उसका साथी राजन उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन वह भी दम घुटने से बेहोश हो गया। आरोप है कि ठेकेदार ने मजदूरों को बिना रस्सी या ऑक्सीजन सपोर्ट के अंदर भेजा था। इसके बाद, एक तीसरे मजदूर सलमान खान को भी बिना सुरक्षा उपायों के कुएं में उतारा गया। तीनों मजदूर बेहोश हो गए। अन्य कर्मचारियों ने हाइड्रोलिक मशीन की मदद से उन्हें बाहर निकाला। दुर्भाग्यवश, तब तक विश्वजीत और राजन की मौत हो चुकी थी, जबकि सलमान खान को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। मृतक विश्वजीत के पिता, हरिश्चंद्र राजभर ने ठेकेदार अजय यादव पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके कारण उनके बेटे और उसके साथी की जान चली गई। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304अ (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) और 125 (अ) के तहत मामला दर्ज किया है।

भायंदर: नवघर पुलिस ने किया 251 ग्राम एमडी जब्त

भायंदर: पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक और अपर पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। इसी के तहत, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक अपराध और अपराध प्रकटीकरण शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलकर विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के दौरान, नवघर पुलिस थाने के अपराध प्रकटीकरण दल ने एक आरोपी को हिरासत में लिया और उसके पास से 12,55,000 रुपये मूल्य का 251 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) नामक प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया। कल दोपहर के आसपास नवघर रोड़ स्थित मीरा-भायंदर मनपा के सार्वजनिक शौचालय के सामने एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से खड़ा देखा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम साहिल विजय सिंह, उम्र 20, पेशा कॉल सेंटर में नौकरी बताया।

विरार : श्मशान घाट पर लकड़ियों की कमी...

अंतिम संस्कार में 3 घंटे की देरी

विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिका की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। 1 सितंबर को विरार पूर्व के एक श्मशान घाट में लकड़ी की कमी के कारण एक परिवार को अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंतिम संस्कार में करीब तीन घंटे की देरी हुई, जिसके चलते शोकाकुल परिवार को खुद ही लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ा। सोमवार की सुबह, 80 वर्षीय शारदानंद मिश्रा के निधन के बाद उनका परिवार दाह संस्कार के लिए उन्हें फुलपाड़ा श्मशान घाट ले गया। वहां पहुंचकर, उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ

नहीं थीं। श्मशान घाट के कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार का लगभग 60 लाख रुपये का भुगतान लंबित होने के कारण उसने लकड़ियों की आपूर्ति रोक दी थी। श्मशान घाट के एक कर्मचारी संजय सुर्वे ने बताया कि उन्होंने 22 अगस्त को ही वीवीसीएमसी को पत्र लिखकर सूचित किया था कि स्टॉक जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक के पोते, रंजीत मिश्रा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस दर्दनाक अनुभव में उन्हें विरार पश्चिम श्मशान घाट जाकर अपने पैसों से एक टेम्पो किराए पर लेना पड़ा और लकड़ियाँ लानी पड़ीं। इस देरी के कारण शव तीन से चार घंटे तक वहीं पड़ा रहा, जिससे परिवार की शोक और भी बढ़ गई। इस घटना ने महानगरपालिका की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी मूलभूत सेवाओं में भी ऐसी खामियां कैसे हो सकती हैं।

ठाणे : जबरन चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 21 हजार नकद और चाकू बरामद

ठाणे : विट्ठलवाड़ी पुलिस ने जबरन चोरी की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से चाकू की नोक पर 21 हजार रुपये लूटे थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर नकदी और अपराध में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। शिकायतकर्ता अजयकुमार शामल गौतम (उम्र 27, पेशा सिलाई, निवासी उल्हासनगर-5) ने दर्ज शिकायत में बताया कि 22 अगस्त 2025 को शाम सात बजे के करीब वह अपने साथियों के साथ रिक्शा से श्रीराम चौक से

उल्हासनगर-5 जा रहा था। सरकारी प्रसूति अस्पताल, उल्हासनगर-4 के पास आरोपी ने रिक्शा रोका और झगड़ा करते हुए शिकायतकर्ता और उसके साथियों को थप्पड़ मारते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद आरोपी ने चाकू की नोक पर उनसे कुल 21,000 रुपये जबरन छीन लिए और ऑटो रिक्शा (MH-**05** BG **9791**) से उल्हासनगर रेलवे स्टेशन की ओर फरार हो गया। शिकायत के आधार पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने 23 अगस्त को मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कोली के मार्गदर्शन में पीएसयू बी.आर. दराडे और क्राइम डिटेक्शन टीम ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी का पता लगाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उल्हासनगर-4 स्थित सर्टिफाई स्कूल के सामने जाल बिछाया और आरोपी संजय रतन राठौड़ (उम्र 23, निवासी अंबरनाथ पूर्व) को दबोच लिया। पूछताछ में उसने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई 21,000 रुपये की नकदी और चाकू जब्त कर लिया।

ठाणे महानगरपालिका ने दिया खतरनाक इमारतों को खाली करने का आदेश

ठाणे : विरार में हाल ही में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना के बाद ठाणे महानगरपालिका प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस दुर्घटना में कई लोगों की जान जाने के बाद अब ठाणे मनपा ने शहर की खतरनाक इमारतों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसी इमारतों को तुरंत खाली कराया जाए और नागरिकों को सतर्क रहने की सूचना दी जाए।

मनपा प्रशासन ने एक आधिकारिक पत्रक जारी कर नागरिकों को सावधान करते हुए स्पष्ट कहा है कि मानसून के दौरान पुरानी और जर्जर इमारतें और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनका ढहने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस स्थिति को देखते हुए मनपा ने पहले ही शहर की सबसे खतरनाक इमारतों की सूची जारी की थी। इसके बावजूद कई नागरिक मनपा के निदेशों की अनदेखी कर रहे हैं और ऐसे भवनों में रहना जारी रखे हुए हैं। विरार हादसे के बाद ठाणे मनपा ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है।

इसके तहत सहायक आयुक्त नागरिकों तक पैम्फलेट पहुंचा रहे हैं, जिनमें यह बताया गया है कि खतरनाक इमारतों की पहचान कैसे करें और किन लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। संकेतों में भवन के स्तंभ, बीम और स्लैब का ढीला होना, दीवारों व छत में बड़ी दरारें दिखना, प्लास्टर झड़ना, कंक्रीट का रिसाव होना, लोहे की छड़ों में जंग लगकर उनका आकार छोटा होना और भवन से असामान्य ध्वनि आना शामिल हैं। मनपा ने कहा है कि यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो इमारत को तुरंत खाली कर दिया जाए और पड़ोसियों को भी चेताया जाए। साथ ही, आरसीसी द्वारा तुरंत इमारत का निरीक्षण कराना आवश्यक है।

मुंबई : मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को "कुणबी," "मराठा-कुणबी,"

या "कुणबी-मराठा" के रूप में जाति प्रमाणपत्र जारी करने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई

मुंबई : मराठा समुदाय को लेकर लंबे समय से चल रही आरक्षण और प्रमाणपत्र प्रक्रिया पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक नया शासन निर्णय (जीआर) जारी किया है, जिसके तहत मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को ''कुणबी,'' ''मराठा-कुणबी,'' या ''कुणबी-मराठा'' के रूप में जाति प्रमाणपत्र जारी करने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह निर्णय मराठा समाज को न केवल प्रशासनिक राहत देगा, बल्कि प्रमाणपत्र जारी करने में पारदर्शिता और तेजी भी लाएगा। इस फैसले के पीछे मराठवाड़ा क्षेत्र की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को अहम आधार माना गया है। सातवाहन, चालुक्य, और यादव जैसों का गढ़ रहे इस क्षेत्र ने हमेशा से सामाजिक विविधता को अपनाया है।

17 सितंबर 1948 को यह क्षेत्र भारत में विलीन

हुआ और 1 मई 1960 से महाराष्ट्र का हिस्सा बना। निजाम शासन के दौरान यहां ''कुणबी'' जाति को ''कापू'' कहा जाता था, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मराठा समाज के कई हिस्सों को कुणबी के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए पूर्व न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति ने हैदराबाद गजेटियर सहित देशभर से 7,000 से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज एकत्र किए, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद और अन्य प्रमुख स्थानों से हासिल सामग्री शामिल है।

इन दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में जरूरी संशोधन किए हैं ताकि पात्र मराठा व्यक्तियों को कुणबी प्रमाणपत्र आसानी से मिल सके। नए शासन निर्णय के अनुसार, अब ग्राम स्तर पर एक तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति स्थानीय स्तर पर संबंधित आवेदक की जांच करेगी। जिन लोगों के पास भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, वे 13 अक्टूबर 1967 से पहले के निवास का उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञापत्र दे सकते हैं।

पुणे: घर बैठे ऑनलाइन काम करने और अच्छे रिटर्न का वादा करके आठ लाख रुपये की ठगी

पुणे: साइबर चोरों ने खड़की की एक युवती और मुंधवा के एक युवक को घर बैठे ऑनलाइन काम (ऑनलाइन कार्य) करने और उस माध्यम से अच्छे रिटर्न का वादा करके आठ लाख रुपये की ठगी की है। इस मामले में खड़की और मुंधवा पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। खड़की इलाके की एक युवती के मोबाइल नंबर पर साइबर चोरों ने एक मैसेज भेजा। चोरों ने उसे घर बैठे ऑनलाइन काम करने और अच्छे रिटर्न का लालच दिया। चोरों ने शुरूआत में युवती को ऑनलाइन काम दिया। यह काम पूरा करने के बाद, उन्होंने उसे बदले में कुछ पैसे दिए। रिटर्न मिलने के बाद युवती ने उन पर विश्वास कर लिया। फिर चोरों ने उसे ऑनलाइन कार्यों में और पैसे लगाने के लिए कहा। युवती ने 26 से 31 जुलाई के बीच चोरों के खाते में 4 लाख 16 हजार रुपये जमा कर दिए। हालांकि, जब युवती ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो चोरों ने मोबाइल नंबर बंद कर दिया। युवती को ठगी का एहसास होने के बाद, उसने खड़की पुलिस स्टेशन में चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विक्रम सिंह कदम जांच कर रहे हैं। इसी तरह, साइबर ठगों ने मुंढवा इलाके के एक युवक से 3 लाख 99 हजार रुपये की ठगी की।

मुंबई : मराठा आंदोलन पर विराम...

मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया

मुंबईः मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार GR यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद आजाद मैदान को खाली कर दिया जाएगा। खास बात है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी आंदोलन के लिए मुंबई की सड़कों को रोकने पर आपत्ति जताई थी। मंगलवार को ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजट लागू किया जाएगा, एक महीने के अंदर ही ऐसा ही फैसला सतारा रियासत को लेकर भी लिया जाएगा। साथ ही सितंबर के अंत तक मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रस्ताव में आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की बात भी शामिल है।

जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं और ओबीसी समूह के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दरअसल, हैदराबाद गजट पर जरांगे इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साबित करता है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में रह रहे मराठाओं को आधिकारिक तौर पर कुनबी माना गया था। महाराष्ट्र में कुनबी समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है। खास बात है कि मौजूदा मराठवाड़ा क्षेत्र पहले हैदराबाद राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जरांगे ने समर्थकों से कहा, 'हम आपकी ताकत से जीत गए हैं।

मुंबई : कूपर हॉस्पिटल में कर्मचारियों की भारी कमी; मरीजों की देखभाल और भीड़ प्रबंधन में दिक्कत

मुंबई : एचबीटी मेडिकल कॉलेज और डॉ. आर. एन. कूपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल, जुहू, विले पार्ले के डॉक्टरों ने डीन को पत्र लिखकर कर्मचारियों की भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया है जिससे मरीजों की देखभाल और भीड़ प्रबंधन में दिक्कत आ रही है। अपने पत्र में, डॉक्टरों ने आगाह किया है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो आवश्यक चिकित्सा सेवाओं में भारी व्यवधान आ सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, अस्पताल सहायक चिकित्सा अधिकारियों (एएमओ), चिकित्सा अधिकारियों (एमओ), पंजीकरण सहायकों, एक्स-रे तकनीशियनों, ड्रेसर, एम्बुलेंस परिचारकों, फार्मासिस्टों और अन्य सहायक कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि कई कर्मचारियों की संविदा अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन कोई विस्तार आदेश या नई नियुक्तियाँ जारी नहीं की गई हैं।

ठाणे : इमारत की चौथी मंज़िल से कूदकर 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने कर ली आत्महत्या

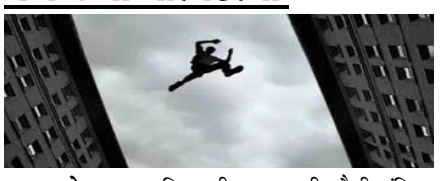

ठाणे : एक रिहायशी इमारत की चौथी मंज़िल से कूदकर 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। यह घटना वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सकलया अपार्टमेंट में हुई। मृतक की पहचान संतोष गिरी के रूप में हुई है, जो ठाणे के लौसवाड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था।

पुलिस को संदेह है कि वह अपनी दोनों पत्नियों के अलग होने के कारण अवसादग्रस्त था। वह शराब पीने का आदी था। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँचे और उसे खून से लथपथ पाया। उसे तुरंत ठाणे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मुंबई में 30 दिनों के लिए ड्रोन और अन्य उड़ने वाली चीजों पर लगा बैन

मुंबई : गणपति विसर्जन के अवसर पर, मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने अगले 30 दिनों के लिए पूरे शहर में ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने कहा कि आतंकवादियों या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा ऐसे उड़ने वाले उपकरणों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक था, जिससे वीवीआईपी, सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति को खतरा हो सकता है। यह प्रतिबंध 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, 00.01 बजे से 24:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश में केवल मुंबई पुलिस द्वारा की जाने वाली हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छूट दी गई है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संपर्क कार्याल : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com